मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2004 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 25 फरवरी, 2004 (फाल्गुन 6, 1925)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना

श्री बाबूलाल गौर, विधि और विधायी कार्य मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अध्यादेश, 2004 (क्रमांक 1 सन् 2004) पटल पर रखेंगे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री बाबूलाल गौर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39 की उपधारा (2) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 35 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003 पटल पर रखेंगे.

(2) डॉ. गौरीशंकर शेजवार, ऊर्जा मंत्री -

(क) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा-75 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003, तथा

(ख) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा-69 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत मंडल के लेखों का वार्षिक विवरण वर्ष 2000-2001 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री कैलाश चावला, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित भोपाल का 40 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2001-2002 पटल पर रखेंगे.

(4) डॉ. ढालसिंह बिसेन, वन मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का 28वां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे वर्ष 2002-2003 पटल पर रखेंगे.

(5) श्री बद्रीलाल यादव, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन, मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा-19 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) संबंधी दशम् वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003 पटल पर रखेंगे.

(6) श्री राघवजी, वित्त मंत्री, राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा 37 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वित्त निगम की 48 वीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2002-2003 पटल पर रखेंगे.

4. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयक की सूचना

5. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री गजराज सिंह सिकरवार, रामनिवास रावत, उम्मेद सिंह बना, सदस्य, चंबल संभाग के जिलो में चंबल नहर से कृषकों को सिंचाई हेतु पानी न मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्यमंत्री (जल संसाधन) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री वंशमणि प्रसाद वर्मा, सदस्य, सीधी जिले के जियावन थाना प्रभारी द्वारा आदिवासियों को प्रताड़ित किये जाने की ओर
मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

6. सभापति तालिका की घोषणा

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री बद्रीलाल यादव, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन, मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उप-लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 1 सन् 2004) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) डॉ. गौरीशंकर शेजवार, ऊर्जा मंत्री, मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन तथा विधिमान्यताकरण) विधेयक, 2004 (क्रमांक 2 सन् 2004) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

8. राज्यपाल के अभिभाषण पर श्रीमती सुधा जैन, सदस्य, द्वारा दिनांक 23 फरवरी, 2004 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

" राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिये मध्यप्रदेश की विधान सभा के इस सत्र में समवेत् सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं".

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 24 फरवरी, 2004